रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082022-238449
CG-DL-E-30082022-238449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3867] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2022/भाद्र 8 1944
No. 3867] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2022/BHADRA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2022

का.आ. 4041(अ).—यतः, मै॰ महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य में ओवाले ग्राम (नए गांव का नाम भायंदरपाड़ा), घोडबंदर रोड़, ठाणे जिले में जैव प्रोद्योगिकी हेतु एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार द्वारा मै॰ महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड को दिनांक 21 जून, 2006 को अनुमोदन पत्र प्रदान किया गया था। बाद में, मै॰ महिंद्रा गेसको डेवलपर्स लिमिटेड के अनुरोध पर महिंद्रा गेस्को डेवलपर्स लिमिटेड को 'महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड' के पक्ष में अनुमोदन पत्र के हस्तांतरण के लिए 19 जून, 2007 को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद, केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1606 (अ) दिनांक 02 जुलाई, 2008 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 22.327 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 22.327 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र स. एसईजेड-2006/सीआर-1443/इंड-2 दिनांक 25 फ़रवरी, 2022 के तहत् प्रस्ताव को अनापत्ती प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके अलावा, डेवलपर ने पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा स्पष्ट किया हैं की वे वचन देते हैं की एक बार डिनोटीफ़ाई हो जाने के बाद, भूमि को किसी आवासीय विकास नीति के तहत् या किसी गैर-औद्योगिक उद्देश्य के लिए विकसित नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा लागू औद्योगिक नीतियों (जैसे एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी टाउनशिप नीति या एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र नीति), राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देश/ मास्टर प्लान और उसके संबंध में लागू नियम के अनुसार किया जाएगा। डेवलपर ने आगे स्पष्ट किया हैं की ऐसी अनधिसूचित भूमि का उपयोग वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश संख्या डी.12/45/2009-एसईजेड, दिनांक 13 सितंबर, 2013 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा;

और यत:, विकास आयुक्त, सीप्ज़ विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 22.327 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की हैं।

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक ज़ोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद् करती है।

[फा. सं. फ. 2/357/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2022

S.O. 4041(E).—WHEREAS, M/s. Mahindra Gesco Developers Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Biotechnology Sector at Village Owale (new village name Bhayanderpada), Ghodbunder Road, District Thane in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government granted formal approval to M/s. Mahindra Gesco Developers Limited on 21st June, 2006. Later, the request of M/s. Mahindra Gesco Developers Limited for transfer of approval in favour of 'Mahindra and Mahindra Limited' was approved on 19th June, 2007. Subsequently, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 22.327 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Gazette Notification Number S.O. 1606 (E) dated 2nd July, 2008;

AND, WHEREAS, M/s. Mahindra and Mahindra Limited has now proposed to de-notify the entire area of 22.327 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. SEZ-2006/CR-1443/Ind-2 dated 25th February, 2022. Further, the Developer vide letter dated 28th April, 2022 has clarified that they undertake that once de-notified, the land will not be developed under any residential development policy or for any non-industrial purpose, but will be used as per the applicable industrial policies of the State Government (such as Integrated Information Technology Township policy or Integrated Industrial Area policy), land use guidelines/ master plans of the State Government and applicable regulations in respect of the same. The Developer has further clarified that the use of such de-notified land will be as per the criteria set out in Instruction No. D.12/45/2009-SEZ, dated 13th September, 2013 issued by the Department of Commerce, MoC&I, GoI;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 22.327 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/357/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.08.30 16:57:46 +05'30'